

16/10/05

155

16798

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 36,75,153.00 रुपये। CHALLAN N.
रकम : 2,57,400.00 रुपये। N, 160828 | 30 X 11-10

मैं कि पीतम सिंह पुत्र श्री हरकल निवासी ग्राम कवेडा बास्ताबाद परगना दादरी
तहसील दादरी जिला गोंयमकुद नगर (फरीक अजल, विक्रता)।

एतम

मैसरी जमल नदक हाईटेक जलमसि प्राठ लिठ 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस
कालोनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादेव पाठक 33, कम्युनिटी
सेंटर न्यू फेन्डस कालोनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दीयम/क्रेता)।

11/10/05

Per Upadhi Chandra...

Authorised Signature



Authorized Signatory
Address
Court, GZB



सुन रिजिस्ट्रार वार्ड

35/2/10

जोषदत्त पु० 3675, 7531-गणना यंत्रणा 3/11

जिसमें से

जिसमें से
नाम की अवधि तक उक्त श्री जितेंद्र सिंह यादव उपा

~~नैव तस्मात्तस्मिन् नैव काले नैव उपपन्नं यच्छास्त्रं इति चेत् तत्र
 पक्षे प्राप्तिरिति ३३ काम्युक्तिरीत्येव नैव प्रोक्तं
 व्याजं नैव मिलति तत्रा नैव निश्चितं पक्षे ३३
 अत्रापि प्राप्तिरिति ३३ काम्युक्तिरीत्येव नैव प्रोक्तं
 व्याजं नैव मिलति नैव स्वीकृतं नैव प्रोक्तं~~

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कवैडा बारसानाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (2050), कृषि भूमि खाता नं० 159 के खसरा नं० 978 रकबा 0.4900 हैक्टो का 1/4 भाग यानि 0.1225 है० व खसरा नं० 1311 रकबा 0.3790 है० का 1/4 भाग यानि 0.09475 है० तथा खसरा नं० 1050 रकबा 0.3230 है० में से 0.03895 है० इस प्रकार कुल रकबा 0.2562 है० प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409 1414 फराली जिसका फरौक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर क्रायजाल दर्ज है, का बेनामा छाजा में विक्रय किया जा रहा है।

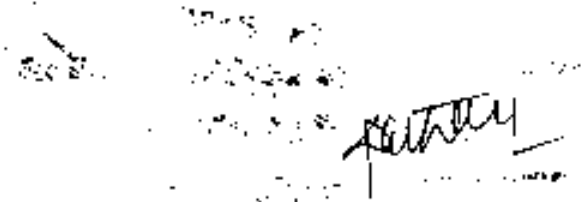
(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/- रुपये प्रति हैक्टयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/- रुपये प्रति हैक्टयर की दर से अंकन 36,75,753/- रुपये (छत्तीस लाख पैंचहत्तर हजार सात सौ तिरपन रुपये मात्र) में तय है और सरकारी रटाम्य क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, बूढ़ान, बक्क, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में रटाम्य अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।


साहबजी




साहबजी

प्रमाणित की दीपक
 प्रमाणित की जेती
 निशानी अर्ध-वर्ग गोल
 प्रमाणित की अर्ध-वर्ग
 निशानी गोल
 प्रमाणित की जेती
 निशानी अर्ध-वर्ग

38/12/10

प्रमाणित की

प्रमाणित की

D. rees

साक्षी पक्ष प्रतीक होते हैं किन्तु
 संगुण निगमनस्य विषये फते है

136

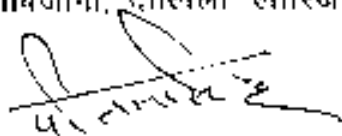
साक्षी पक्ष प्रतीक होते हैं किन्तु

(3)

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अखिल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बंधक, गार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। फरीक अन्य जगह आर, रहना, नया, छिबे, महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी, न निजी रूप आदि में घस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ऋण है। इस विक्रय भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद घस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निजी आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिलिकयत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखित भूमि के संबंध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबंध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अखिल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त भूमि खाता नं० 159 के खसरा नं० 978 रकबा 0.4900 हैक्टे० का 1/4 भाग यानि 0.1225 है० व खसरा नं० 1311 रकबा 0.3790 है० का 1/4 भाग यानि 0.09475 है० तथा खसरा नं० 1050 रकबा 0.3730 है० में से 0.03895 है० इस प्रकार कुल रकबा 0.2562 है० स्थित ग्राम कवैला वारसावाद मरगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिससे पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्तविकी काश्त एवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजागंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक समीति से मय समस्त अधिकार भालिकाना, कामिजाना, दारिजी, खारिजी, काश्त मराई, हर किस्म कब्जा गज के जो कुछ भी



For Uppal Chandra H. ...


Authorized Signatory





(4)

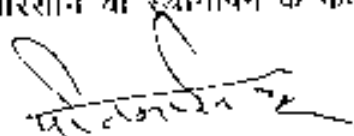
अधिकार गुप्त विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन 36,75,753/- रुपये (छत्तीस लाख सैंतीस हजार सात सौ तिरपन रुपये मात्र) जिसके आधे अंकन 18,37,876,50 (अठारह लाख सैंतीस हजार आठ सौ तिरपन रुपये मात्र) होते हैं के एवज में बहाल फरीक दीयग क्रेता उपरोक्त मैरर्स अप्पल चट्टा आईटेक अवलपर्स प्रा० लि० 33 कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अबादत पाठक 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हरताक्षरी को बंध कर दिया है यागि कतई बेव दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी गुप्त विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नहीं रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण तारतमिक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक कब्जे में दाखिल बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

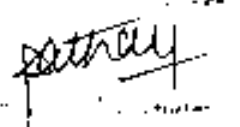
(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की वास्तव समस्त वज्रगजात में बजारिये बैनागा दाखिल खारिज मालकगजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवावेगा या वो स्वयं दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हरताक्षर गुप्त फरीक अव्वल से करा सकते हैं, गुप्त फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिल्कियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संभव बाकी नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई मार निकला और निकला हुआ मार क्रेता या स्थानापन को अपने पारा से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दायेदारी या किसी कानूनी मुकदमा आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के



Box D:







(5)

उत्पन्न होने पर फरीक अव्यल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके रथानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने मार से अदा किये गये मार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की घनराशी को मय हज्जे खर्वे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी बल व आवल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वरूल करा सकते हैं जिस पर फरीक अव्यल/विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त स्वर्ण क्रोता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र स्वीकृत होकर समझ कर, सुनकर पढ कर गताहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और रागस पर काम आये।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.2562 हैक्टेयर, खता नं० 189 के खसरा नं० 978, 1050, 1311 स्थित ग्राम कवैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी जिला गोंतगबुध नगर के निम्नलिखित निम्न विवरण के अनुसार विक्रय घनराशी प्राप्त कर ली है.

For United Nations Human Rights Commission

U. S. 1000

[Signature]
Authorized Signatory

100



(6)

(15) बैंक एडिटर बैंक लि० गाजियाबाद शाखा गाजियाबाद का बैंक नंबर 36752 अंकन 36,75,753/ रुपये (छत्तीस लाख पैंचहत्तर हजार सात सौ तिरपन रुपये मात्र) दिनांकित 30.12.10 फरीक अजल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

[Signature]

दिनांक

[Signature]

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अजल (विक्रीता)

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक योगम (क्रेता)

गवाह नं० 1

D. M. Singh *[Signature]* श्री 8/10/10 पाला
श्री 8/10/10 पाला श्री 8/10/10 पाला श्री 8/10/10 पाला

गवाह नं० 2

[Signature] श्री 8/10/10 पाला
श्री 8/10/10 पाला श्री 8/10/10 पाला श्री 8/10/10 पाला

तहरीरी दिनांक. 30.12.2010 गसौदा तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

[Signature]





भारतीय रिजर्व बैंक

बीस रुपये

₹.20



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AA 153024

Stamp duty paid in cash certificate in favour of-M/S UPPAL CHADDHA
HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW
FRIENDS COLONY, NEW DELHI

In pursuance of the order of the collector

NO...memo....dated.30.12.10 passed under

Section 10-A of the stamp act. It is certified that an

amount of Rs.2,57,400-00(Inwords Rs.Two lacs fifty seven thousand-
four hundred only)

has been paid in cash as stamp duty in respect
of this instrument in the State bank of India/

Treasury/Sub treasury...NOIDA

By Challan No...N160828.. dated..30.12.10

A copy of which is annexed herewith.

30.12.

Dated 28.12

GPRD

Senior Treasury Officer

Gautam Budh Nagar

नं. 852 में शामिल
 किया गया।
 23 DEC 2010
 रोक किया
 * कोषागार/गौतम बुद्ध नगर *

Ms Uppal Chaudhary Hitech Developers
 Prof. L. L. Noida

आज दिनांक 30/12/10
 प्रति पुस्तक संख्या 3086
 के पृष्ठ 125 पर क्रम संख्या 147.98
 138
 पर निरीक्षण किया गया।

*
 उप निबंध
 दावे

30/12/10
 12